प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

विविध अपील क्रमांक 1085/2004

अपीलार्थी / प्रतिवादी क्रमांक 01

दयाशंकर गुप्ता आ. छत्रधारी साव, आयु लगभग 30 वर्ष निवासी केदारपुर नगर अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

बनाम

उत्तरदातागण/ वादी

1 भारतीय स्टेट बैंक शाखा अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

2 दिनेश कुमार गुप्ता आ. स्व. लोकनाथ साव.

3 सुनील कुमार गुप्ता आ. स्व. लोकनाथ

प्रतिवादी क्रमांक 02 व 03 निवासी ग्राम – घुई थाना रामकोला तहसील प्रतापपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

4 कृपाशंकर गुप्ता आ. स्व. छत्रधारी साव आयु लगभग 30 वर्ष निवासी–ग्राम केदारपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपील अंतर्गत आदेश 43 नियम 1 (घ) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) अंबिकापुर (छ.ग.) द्वारा विविध सी.एस. क्रमांक M.I.S.C. CS no. 06/2004 में 12/08/04 को पारित आदेश से व्यथित होकर पक्षकार दयाशंकर गुप्ता बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

विविध अपील क्रमांक 1085/2004

दयाशंकर गुप्ता

विरूद्ध

भारतीय स्टेट बैंक आफ व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

दिनांक 10/05/2005 को सूचीबद्ध करें

सही/–

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

विविध अपील क्रमांक 1085@2004

दयाशंकर गुप्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

भारतीय स्टेट बैंक व अन्य

श्री राकेश पांडेय अपीलार्थी के अधिवक्ता

श्री एन.के. अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमरुल अजीज

प्रतिवादी क्रमांक 1 के लिए।

प्रतिवादी क्रमांक 2 3 व 4 के लिए कोई उपस्थित नहीं

आदेश

(10–05–2005)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) अंबिकापुर द्वारा विधिक न्यायिक प्रकरण क्रमांक 6/2004 में पारित दिनांक 12/08/2004 के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 1 ने व्य.प्र.सं. के आदेश 43 नियम 1 (घ) के अंतर्गत यह विविध अपील दायर की गई है, चूंकि इस अपीलार्थी द्वारा एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए व्य.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत दायर आवेदन उक्त न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है ।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य यह है कि वादी–बैंक ने एक सिविल वाद वास्ते रकम 1,17,981 रुपये की वसूली के लिए दिनांक 17/01/1994 को प्रस्तुत किया था। इस प्रकरण का अपीलार्थी उक्त सिविल वाद में प्रतिवादी क्रमांक 1 है तथा उक्त उत्तरदाता क्रमांक 2 3 एवं 4 क्रमशः अन्य प्रतिवादीगण थे। उक्त सिविल वाद का क्रमांक 3 ख/1994 था प्रकरण में मूल रूप से श्रीमति फूलमत बाई प्रतिवादी क्रमांक 1 थी जिसकी मृत्यु पश्चात् फूलमत बाई का नाम विलोपित कर प्रतिवादीगणों को पुनः क्रमांकित किया गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) न्यायालय में रकम वसूली संबंधी वाद प्रस्तुत होने के पश्चात् सभी प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 5 को न्यायालय में उपस्थिति होने हेतु एक नोटिस दिनांक 14–09–1994 प्राप्त हुआ था । तत्पश्चात् दिनांक 11–03–1995 को प्रतिवादीगणों द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण में उपस्थित हो जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था। विवाधकों के विरचन के पश्चात् प्रकरण को दोनो पक्षकारों के साक्ष्य हेतु विभिन्न तिथियों को सुनवाई हेतु रखा गया था परंतु प्रकरण अनेक बार स्थगित किया गया था क्योंकि वादी के साक्ष्यगण अनुपस्थित रहे थे । अंततः दिनांक 19–08–1998 को न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए प्रतिवादियों की अनुपस्थिति पर प्रतिवादियों के अधिवक्ता को प्रकरण की पैरवी करने हेतु कहा गया था, परन्तु प्रतिवादिगणों के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से 'कोई निर्देश नहीं' की बात कहते हुए पैरवी करने में असमर्थता बताई थी । तत्पश्चात् उसी दिनांक को न्यायालय द्वारा उक्त बात का संज्ञान लेते हुए प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था । उक्त आदेश दिनांक 19–8–1998 को वादी बैंक के द्वारा उपस्थित किये गए साक्षियों के बयान दर्ज किये जाने के पश्चात् किया गया था। उसी दिनांक को न्यायालय द्वारा वादी बैंक के अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्क को सुना गया था तथा प्रकरण

को दिनांक 31–08–1998 को निर्णय के लिए नियत किया गया था एवं दिनांक 31–08–1998 को न्यायालय द्वारा के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित की गई थी ।

(4) प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क यह है कि उसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री की जानकारी पूर्व में नहीं थी परन्तु जब पारित निर्णय के आधार पर वसूली की कार्यवाही संस्थित की जा रही थी तब उसे उसके विरूद्ध पारित एकपक्षीय निर्णय की जानकारी हुई थी । तब दिनांक 06–10–2001 को प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो एक आवेदन वास्ते प्रकरण में पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु पेश किया गया था, तत्पश्चात् दिनांक 15–12–2001 को पारित निर्णय एवं डिक्री की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी पश्चात् इसके दिनांक 19–12–2001 को प्रतिवादी द्वारा आदेश 9 नियम 13 व्य..प्र.सं. के तहत् अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) प्रस्तुत प्रकरण के अपीलार्थी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन आदेश 9 नियम 13 व्य.प्र.सं. के आवेदन के साथ एक अन्य आवेदन प्रकरण में हुई देरी को माफ किये जाने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत् पेश किया गया था । उक्त दोनों आवेदन को पेश किये जाने पर अपीलार्थी ने अपने आवेदन में यह तर्क दिया था कि विचारण न्यायालय के अधिवक्ता द्वारा उन्हें यह कहा गया था कि उन्हें न्यायालय में निर्धारित प्रत्येक तिथियों पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है तथा जब उपस्तिथि आवश्यक होगी तब उनकी उपस्थिति हेतु उन्हें सूचित किया जाएगा। अपने अधिवक्ता की इस बात पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी/प्रतिवादी विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाए थे परंतु उनके अधिवक्ता द्वारा उनकी उपस्थिति दर्ज की जा रही थी] परंतु जिस दिनांक को न्यायालय में वादी साक्षी उपस्थति हुआ था । प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगणों द्वारा 'कोई निर्देश नहीं' की बात कहते हुए साक्ष्य नहीं लिया गया था एवं उपरोक्त तथ्यों की जानकारी प्रतिवादीगणों को उनके अधिवक्ता के द्वारा नहीं दी गई थी। न्यायालय के द्वारा तर्क का संज्ञान ले उसे गंभीर मानते हुए प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई थी।

(6) विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवादीगण के तर्क का वादी बैंक के अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया था। दोनों पक्षो के द्वारा प्रस्तुत तर्क को सुनने के पश्चात् दिनांक 12–08–2004 को प्रतिवादीगणों के

प्रस्तुत दोनों आवेदनों को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर गया था। विचारण न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर के विरूद्ध प्रतिवादीगणों ने अपील प्रस्तुत की है ।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किये बिना कि अपीलार्थी ने सुनवाई की उक्त तिथि पर अपनी अनुपस्तिथि हेतु पर्याप्त कारण दर्शित किया है अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को खारिज किये जाने में विधि की गंभीर त्रुटि की है तथा परिसीमा के विहित समय के अंदर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने हेतु भी पर्याप्त कारण दर्शित किया किया है. वास्तव में, अधीनस्थ न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि प्रतिवादियों द्वारा नियुक्त अधिवक्ता ने उन्हें सुनवाई की तारीख के बारे में या 19/08/98 को किसी भी समय कोई निर्देश न देने के बारे में सूचित नहीं किया था और अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादियों को कोई नोटिस जारी किए बिना, जो उस समय उपस्थित नहीं थे जब उनके अधिवक्ता ने कोई निर्देश न देने का अनुरोध किया था, उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की और यह देरी को माफ करने और एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए पर्याप्त कारण था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दूसरी ओर, प्रतिवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता ने इस तर्क का विरोध किया। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादियों ने मुकदमे का बचाव करने में लापरवाही की थी और यह न्यायालय का कर्तव्य नहीं था कि वह अपीलकर्ता प्रतिवादी को उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करने से पहले कोई नोटिस जारी करे, जब उनके अधिवक्ता ने उक्त तिथि पर कोई निर्देश नहीं होने का अभिवाक किया था। यह भी तर्क दिया गया है कि देरी को माफ करने या एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन की अनुमति देने के लिए कोई पर्याप्त कारण स्थापित नहीं किया गया था।

9. यह एक सुस्थापित विधि है कि ऐसे मामले में जहां एकपक्षीय डिक्री पारित की गई है, प्रतिवादी उक्त डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय को संतुष्ट कर देता है कि उस समय उसकी अनुपस्थित्ति का पर्याप्त कारण था तब न्यायालय ऐसी शर्तों पर उसके खिलाफ पारित डिक्री को अपास्त करने का आदेश देगा, जिसमें शास्ति का न्यायालय में भुगतान या अन्यथा

जैसा वह उचित समझे, जैसी शर्तें होंगी। उक्त पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करने के लिए परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 123 के तहत निर्धारित 30 दिनों के अंदर आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उक्त 30 दिनों के अंदर दायर किये जाने की चूक होने पर चूककर्ता परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों का लाभ उठा सकता है । उक्त उपबधों का लाभ उठाने के लिये न्यायालय को संतुष्ट करके क्षमा की मांग करे वह कारण जिसने उन्हें विधि के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय की शरण लेने से रोक दिया था.

10. उच्चतम न्यायालय ने रामलाल एवं अन्य, अपीलकर्ता बनाम रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड में एफआईआर 1962 एस.सी. 361 में प्रतिवेदित में यह माना है कि धारा 5 का अर्थ लगाते समय दो महत्वपूर्ण विचारों को ध्यान में रखना सुसंगत है। पहला विचार यह है कि निर्धारित परिसीमा अवधि की समाप्ति डिक्री धारक के पक्ष में डिक्री को पक्षों के बीच बाध्यकारी करने के अधिकार को जन्म देती है । दूसरे शब्दों में जब निर्धारित परिसीमा अवधि समाप्त हो जाती है] तो डिक्री धारक ने डिक्री को चुनौती से परे मानने के लिए परिसीमा विधि के तहत लाभ प्राप्त कर दिया है, और यह विधिक अधिकार को समय बीतने के कारण डिक्री धारक को प्राप्त हुआ है, उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए । दूसरा विचार जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है वह यह है कि यदि देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया जाता है तो न्यायालय को देरी को माफ करने का विवेकाधिकार दिया जाता है। यह विवेकाधिकार न्यायालय को जानबूझकर प्रदान किया गया है ताकि सारभूत न्याय को आगे बढ़ाने के लिए उस संबंध में न्यायिक शक्ति और विवेक का प्रयोग किया जा सके ।

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कृष्णा बनाम चतप्पन, आईएलआर 13 मद्रास 269 मामले में की गई टिप्पणी को उद्धृत करते हुए दिया है जो इस प्रकार है –

"धारा 5 न्यायालय को अधिकारिता के संबंध में विवेकाधिकार प्रदान करती है, जिसका प्रयोग न्यायिक शक्ति और विवेकाधिकार का प्रयोग उन सिद्धातों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिन्हें भली–भाँति समझा जा चुका है] " पर्याप्त कारण" शब्दों क उदार

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अर्थ लगाया गया है, ताकि सारभूत न्याय प्राप्त हो सके, जबकि अपीलकर्ता का अभाव आरोपित नहीं किया जा सकता है ।"

¼11½ सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम प्रशासक हावड़ा नगर पालिका और अन्य (1972) 1 एससीसी 366 में पुनः माना कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में "पर्याप्त कारण" शब्द का अर्थ उदारतापूर्वक लगाया जाना चाहिए ताकि जब अपीलकर्ता पर कोई लापरवाही, निष्क्रियता या सद्भावना का अभाव आरोपित नहीं किया जा सकता ताकि सारभूत न्याय प्रदान किया जा सके (कृपया उक्त निर्णय का पैरा 30 देंखें)

12. जी. रामेगौड़ा मेजर और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी बैंगलौर (1988) 2 एससीसी 366 के मामले में पैरा 142 के अनुसार आगे यह भी अवधारित किया गया है कि पक्षकार को उसके अधिवक्ता की सभी गलतियों से बचाने वाला कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है । प्रत्येक मामले पर उसके अपने विशेष तथ्यों की विशेषताओं के आधार पर विचार करना होगा । हालांकि, धारा 5 में ^^पर्याप्त कारण** की अभिव्यक्ति को उदार व्याख्या मिलनी चाहिए ताकि पर्याप्त न्याय मिल सके और आम तौर पर अपील दायर करने में देरी को माफ किया जाना चाहिए । न्याय के हित में जहां विलंब के लिए क्षमा मांगने वाले पक्ष पर कोई घोर लापरवाही या जानबूझकर की गई निष्क्रियता या सद्भावना की कमी आरोपित नहीं की जा सकती है।

13. एन. बालाकृष्णन बनाम एम. कृष्णामूर्ति (1998) 7 एससीसी 123 के मामले में यह भी अवधारित किया गया है कि "परिसीमा विधि" सार्वजनिक नीति पर आधारित है । यह कहावत "इंटरेस्ट रिपब्लिक अप सीट फिनीश लिटियम" (यह सामान्य कल्याण के लिए है कि मुकदमेबाजी के लिए एक अवधि रखी जाए) में निहित है । परिसीमा के नियमों का उद्देश्य पक्षों के अधिकारों को नष्ट करना नहीं है । उनका उद्देश्य यह दिखाना है कि पक्ष विलंबकारी रणनीति का सहारा न लें बल्कि तुरंत अपना उपाय तलाशें । विचार यह है कि प्रत्येक विधिक उपचार को विधायी रूप से या समयावधि तक जीवित रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि विलंब की अवधि कोई मायने नहीं रखती] स्पष्टीकरण की एकमात्र मानदंड है । कभी–कभी स्वीकार्य स्पष्टीकरण की कमी के कारण सबसे कम अवधि का विलंब

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अक्षय हो सकता है जबकि कुछ अन्य मामलों में बहुत लंबी अवधि का विलंब क्षमा योग्य हो सकता है क्योंकि उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक है ।

14. इस मामलें में यदि हम देरी के मामले की जांच करते हैं, तो अपीलकर्ता के आवेदन के माध्यम से यह अभिलेख में आता है कि वास्तव में प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान दाखिल करने के बाद, प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं है और जब भी उनकी आवश्यकता होगी, उन्हें उनके द्वारा सूचित किया जाएगा। मामले के सुसंगत आदेश पत्रों से पता चलता है कि यह मामले में साक्ष्य के लिए कई तिथियां तय की गई थी और केवल वादी के गवाहों के पेश न होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह पहली बार है कि वादी के गवाह 19–08–1998 को पेश हुए और विचारण न्यायालय ने साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामला अपने हाथ में लिया और इस तिथित को] लंबी अवधि तक पेश होने के बाद अधिवक्ता ने प्रतिवादियों की ओर से कोई निर्देश नहीं दिए जाने का अनुरोध किया। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने प्रतिवादियों की ओर से वादी के साक्ष्यों का प्रतिपरिक्षण करना उचित नहीं समझा। मामले की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि उक्त तिथि पर प्रतिवादी (अपीलकर्ता सहित) उपस्थित नहीं थे और अधिवक्ता ने प्रतिवादी (अपीलकर्ता सहित) उपस्थित नहीं थे और अधिवक्ता ने उनकी अनुपस्थिति में कोई निर्देश नहीं दिए जाने का अनुरोध किया ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अब सवाल यह उठता है कि एक सचेत प्रतिवादी को न्यायालय द्वारा तय की गई साक्ष्य की तिथि और उसके अधिवक्ता द्वारा कोई निर्देश नहीं दिए जाने के अनुरोध के बारे में कैसे पता चल सकता है, जबकि यह घर पर बैठा हुआ है और उसे पूरा विश्वास है कि मुकदमे के उचित चरण पर उसके अधिवक्ता द्वारा उसे बुलाया जाएगा । यदि अधिवक्ता ने किसी पक्ष को यह आश्वासन देने के बाद कि उसे इसकी सूचना दी जाएगी सुनवाई की तारीख की सूचना नहीं दी है और पक्ष उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है लेकिन अंततः अधिवक्ता कोई निर्देश नहीं देता है और इसके बाद भी वह पक्ष को सूचित नहीं करता है, तो स्वभाविक रूप से पक्ष को मामले के घटनाक्रम के बारे में तब पता चलेगा जब बाद में चरण में कुछ कार्यवाही (जैसे निष्पादन आदि) की जाएगी । इस मामले में इस प्रकृति का एक साधारण मामला है । आश्वासन देने के बाद अधिवक्ता ने मामले में भाग नहीं लिया और एकपक्षीय सुनवाई के बारे में सूचित नहीं

किया । न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही अपीलकर्ता द्वारा समर्थित यह स्पष्टीकरण विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना था और वास्तव में मेरी राय में विचारण न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर एक आवेदन को खारिज करके विधि की भूल की है, क्योंकि उचित आश्वासन के बाद सुनवाई की तारीख के बारे में पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई और दलील देने के बारे में कोई जानकारी नही दी गई जिसके परिणामस्वरूप ज्ञान के अभाव में न्यायालय में आने में देरी हुई जो इस तरह की देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण है, खासकर उस परिस्थिति में जब अपीलकर्ता की ओर से घोर लापरवाही या जानबूझकर की गई निष्क्रियता या सद्भाव की कमी दिखाई नहीं दे रही हो । परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए ताकि एक वास्तविक और जागरूक वादी को सारभूत न्याय मिल सके ।

15. जब व्य.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 13 के तहत दायर मुख्य आवेदन के प्रश्न पर आते हैं अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता ने मुकदमे का बचाव करने में कोई लापराही नहीं बरती है। लंबे समय तक उपस्थित रहने के बाद, अधिवक्ता ने कोई निर्देश नहीं दिए और उसके बाद भी उन्होंने अपने निर्देश के बाद में उन्होंने न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री के बारे में सूचित नहीं किया। सुनवाई के तारीख पर प्रतिवादी अनुपस्थित थे और प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा कोई निर्देश नहीं दिए जाने के बाद भी विचारण न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस के माध्यम से कोई सूचना नहीं की गई थी । अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि यदि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादियों को कोई नोटिस जारी नहीं किया है जो उस समय मौजूद नहीं थे जब उनके अधिवक्ता ने कोई निर्देश नहीं दिए जाने का अनुरोध किया था और उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की, यह एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने और प्रतिवादी को अपने मामले में बचाव का मौका देने के लिए पर्याप्त कारण था ।

16. विद्वान अधिवक्ता द्वारा मलकियत सिंह एवं अन्य बनाम जोगिंदर सिंह एवं अन्य (1998) 2 SCC 206 के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया हैं । सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 7 के अनुसार अवधारित किया है कि आवेदक वाद का बचाव करने में न तो लापरवाह थे और उन्होंने एक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अधिवक्ता नियुक्त किया था तथा कार्यवाही का अनुसरण कर रहे थे। इस तथ्य की स्थिति में विचारण न्यायालय जिसने निश्चित रूप से अपीलकर्ताओं को उनके अधिवक्ता द्वारा निर्देश न दिए जाने की रिपोर्ट किए जाने के बाद कोई नोटिस जारी नहीं किया था, को न्याय हित में उस आवेदन को स्वीकार करना चाहिए था और मामले में उस चरण से आगे बढना चाहिए था जब अधिवक्ता ने कोई निर्देश न दिए जाने की रिपोर्ट की थी । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलकर्ताओं को दोषी नहीं कहा जा सकता है और उन्हें नुकसान नहीं उठाना चाहिए । इस दृष्टिकोण को लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने 1993 के supp (3) SCC 256 में प्रतिवेदित ताहिल रामचंद इस्सरदास सदरांगनी बनाम रामचंद्र इस्सरदास सदरांगनी के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया है।

जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित राय व्यक्त की –

"वर्तमान मामले में यह विवादित नहीं है कि 15–03–1974 को जब श्री अधिया अधिवक्ता मामले से हटे तो याचिकाकर्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं थे । अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता को उस दिन मामले की सुनवाई की सूचना थी या नहीं । हमारा विचार है कि जब श्री अधिया मामले से हटे तो न्याय के हित में यह आवश्यक था कि सुनवाई की वास्तविक तिथि के लिए पक्षकारों को नोटिस के द्वारा एक नई सूचना भेजी जानी चाहिए थी । किसी भी मामले में इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हमारा मानना है कि व्यक्तिगत रूप से पक्षकार की कोई त्रुटि नहीं थी और इस वजह से याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराना चाहिए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. दूसरी ओर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे पता चले कि प्रतिवादी पूरी लगन से प्रकरण की पैरवी कर रहे थे और उन्होंने उक्त तिथि पर अपनी गैरहाजिरी के लिए उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है । तत्संबंध में उन्होंने विजयकुमार दुर्गाप्रसाद गजबल और अन्य विरूद्ध कमलाबाई और अन्य (1995)6 SCC 148 के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया।

18. यदि हम इस मामले के अभिलेखों की जांच करें तो यह स्पष्ट होगा कि व्य.प्र.सं.के आदेश 9 नियम 13 के तहत दायर आवेदन में अपीलकर्ता ने इस सभी तथ्यों के बारे में तर्क दिया है और स्पष्ट रूप से

कहा है कि उसे इस मामले में पूरी रूचि है । वह वाद का बचाव करने में दिलचस्पी रखता था । उसने विशेष रूप से तर्क किया है कि मामले की सुनवाई के बारे में उस अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोई सूचना नहीं मिली थी। इस आवेदन और देरी के लिए अपीलार्थी ने प्रकरण में दायर एक हलफनामे के द्वारा विधिवत उसका समर्थन किया है । हालांकि प्रतिवादी बैंक ने दोनों आवेदनो पर एक सरल सा उत्तर दायर किया है और उनके उत्तर को संबंधित प्राधिकारी के किसी हलफनामे द्वारा समर्थित नहीं किया गया है। इसलिए विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री को प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा खंडन नहीं किया गया है और सुनवाई की उक्त तिथि पर अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रकरण के परीशिलन से यह पता चलता है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी को न्यायालय द्वारा विभिन्न सुनवाई की तिथियों के बारे में सूचित नहीं किया गया और उसकी अनुपस्थिति में और दूसरे अनुपस्थिति में भी प्रतिवादियों ने न्यायालय में "कोई निर्देश न दिए जाने" का अनुरोध किया । इतना ही नहीं पक्षकार की अनुपस्थिति में अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई निर्देश न दिए जाने का अनुरोध करने के बाद भी, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता या किसी भी प्रतिवादी का कोई नोटिस जारी नहीं किया और 19–08–1998 को एक पक्षीय साक्ष्य दर्ज करने के बाद उसी दिन तर्क सुने और मामले को 31–08–1998 को निर्णय पारित करने के लिए निर्धारित किया । वास्वत में इस न्यायालय की राय में, ये पर्याप्त आधार है जो यह संकेत दे सकते है कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी को पर्याप्त कारण से उस समय उपस्थित होने से रोका गया जब मुकदमा सुनवाई के लिए बुलाया गया था और प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में दी गई एकपक्षीय डिक्री को अपास्त किया जाना चाहिए ।

19. यहां इस तथ्य का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि कृषि प्रयोजन के लिए ट्रेक्टर खरीदने के लिए प्रतिवादियों को वितरित ऋण की बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक द्वारा वाद दायर किया गया था । बैंक एक वित्तीय संस्था है अन्यथा यदि एकपक्षीय निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और अंततः द्विपक्षीय विवाद के बाद यह मामले में सफल होता है, तो भी उत्तवादी बैंक को नुकसान नहीं होगा क्योंकि उस परिस्थिति में उन्हें विधि के अनुसार ब्याज मिल सकता है । इसका अर्थ यह है कि यदि अपीलकर्ता/प्रतिवादी को मुकदमा लड़ने का अवसर दिया जाता है तो वादी के हित में होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार की जाती है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलम्ब के लिए क्षमा हेतु दायर आवेदन तथा व्य.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन स्वीकार किया जाता है । अपीलार्थी के विरूद्ध पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री अपास्त की जाती है । विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादी के साक्ष्य के स्तर से विधि के अनुसार विचारण पूरा करे । यह आदेश अपीलार्थी द्वारा वादी को 1500/– रूपये की वाद व्यय के भुगतान के अधीन है जिसे आज से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष जमा/भुगतान किया जाएगा । यह आदेश वाद व्यय के अधीन है तथा यदि निर्धारित समय के भीतर वाद व्यय का भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह अपील खारिज मानी जाएगी तथा अपीलार्थी के विरूद्ध पारित एकपक्षीय डिक्री पुनःप्रवर्तित हो जाएगी। अपील उपर्युक्त शर्तों पर स्वीकार की जाती है । विचारण न्यायालय (व्यवहार वाद एवं एम.जे.सी.) के अभिलेख तत्काल वापस भेजे जाएं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही–
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ... Mr. Prashant Parakh, Advocate